फार्म नम्बर III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** मुकाम **ओसियां**

ओगड़राम वगैरा बनाम बस्तीराम वगैरा

किस्म मुकदम **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र** नम्बर 324 सन **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
3/10/19	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील ओसियां के ग्राम तापू की सरहद में खसरा नम्बर 570 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 571 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 575 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 577 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा भूमि आई हुई है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है जिसमें से प्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 570 व 571 की भूमि में से अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 8 को कर रखा है, प्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 से 5 व अप्रार्थी संख्या 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 2 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है जिसमें से अप्रार्थी संख्या 5 खेमाराम ने खसरा नम्बर 570, 571 में अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 9 को कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 7 ने खसरा नम्बर 571 की भूमि में अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को कर रखा है। उपरोक्त वाद अधीन आराजी खातेदारी जमीन का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के मध्य माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है। सभी खातेदार का अन्दाजिया तौर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि में अलग–अलग रहवासीय ढाणीयां इत्यादि बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 5 ने वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन करवाये खसरा नम्बर 570 व 571 की भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 9 को कर दिया। बिना विभाजन करवाये अप्रार्थी संख्या 5 को वादग्रस्त भूमि का	

सहायक कलेक्टर, ओसियां

19.8.20	...को पेश हो। [illegible] पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठासीन अधिकारी Covid-19 [illegible] पर दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली दिनांक- 27.10.2020 ...को पेश हो। [illegible]	
27/10	पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से पेशी [illegible] पत्रावली दिनांक- 30/12/2020 ...को पेश हो। [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/7/24	तलबी अंतिम अवसर हेतु 30/9/24 को पेश हो।
30/9/24	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर/दीगर कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 25/11/24 को पेश हो।
25/11/24	तलबी अंतिम अवसर हेतु 15/2/25 को पेश हो।
15/2/25	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर/दीगर कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 15/4/25 को पेश हो।
15/4/25	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त। मिसल दिनांक 27/5/25 को पेश हो।
27/5/25	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त। मिसल दिनांक 19/8/25 को पेश हो।
19/8/25	पत्रावली पेश। [illegible] मिसल वास्ते तलबी अन्तिम अवसर दिनांक 24/9/25 को पेश हो।
24.9.25	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त। मिसल वास्ते दिनांक 17/11/25 को पेश हो।
7/10/25	पत्रावली खुल बाद में [illegible] प्रार्थी [illegible] तलबी [illegible] मूलवाद [illegible] अतः उक्त प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible]

रा.मु.जो.